प्रेस नोट–164/2026
दिनांक 22.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ–बोगस फर्मो का पंजीकरण कर फर्जी इनवाइस/ई–वे बिल के माध्यम से जी0एस0टी0 चोरी कर लगभग 100 करोड़ से अधिक की राजस्व क्षति पहुॅचाने एवं लखनऊ में पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22–03–2026 को बोगस फर्मो की कूटरचित इनवाइसेज/ई–वे बिल के माध्यम से वास्तविक फर्मो को इनपुट टैक्स क्रेडिट बेचने एवं वास्तविक फर्मो द्वारा 100 करोड़ से अधिक की जी0एस0टी0 चोरी कर राजस्व क्षति पहुॅचाने वाले अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरण–

1– केशवानी अब्बास हुसैन रमजान अली पुत्र रमजान अली नि0–सी–706 लुंकड जोडियेक विमान नगर पुणे महाराष्ट्र स्थायी पता बागे हुसैन प्रभूदास तालाब शिशु विहार भावनगर गुजरात।

अभियुक्त से बरामदगी–

1. 02 अदद लैपटाप
2. 02 अदद मोबाइल
3. 01 अदद पासपोर्ट

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

दिनांक 22–03–2026 को समय 08:15 बजे, स्थान–थाना कार्यालय विमान तल विमान नगर पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार।

कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर बोगस फर्मो का पंजीकरण कर उसके माध्यम से फर्जी इनवाइसेज/ई–वे बिल काटकर वास्तविक फर्मो को इनपुट टैक्स क्रडिट बेच कर राजस्व को क्षति पहुंचाने वाली बोगस फर्मो के विरूद्ध जी0एस0टी0 विभाग द्वारा उ0प्र0 के विभिन्न जनपदो के थानो में अभियोग पंजीकृत कराये गये है। पंजीकृत अभियोगों से सम्बन्धित विवेचकों को तकनीकी/अभियान सम्बन्धी सहयोग प्रदान करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को भी निर्देषित किया गया, जिसके क्रम में मु0अ0सं0–190/25 धारा–318(4), 336(3), 340(2), 338, 61(2) बी0एन0एस0 थाना इन्दिरा नगर (सम्बन्धित फर्म अराध्या इण्टरप्राइजेज) के विवेचक द्वारा अभियोग के अनावरण हेतु एस0टी0एफ0 मुख्यालय से वांछित सहयोग मांगा गया।

उपरोक्त कार्यवाही हेतु श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में उ0नि0 चन्द्रप्रकाश मिश्रा, मु0आ0 बरनाम सिंह, मु0आ0 मृत्युंजय सिंह, मु0आ0 वीर प्रताप, मु0आ0 अजीत सिंह चालक शिवबीर की एक टीम अभियोग के विवेचकगण के साथ दिनांक 21–03–2026 को पुणे महाराष्ट्र में अभिसूचना संकलन हेतु भ्रमणशील थी। अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित फर्म एवं अन्य बोगस फर्मों का पंजीकरण कर बोगस इनवाइसेज तथा ई–वे बिल तैयार कर वास्तविक फर्मो को बेचकर करोडो रूपये की राजस्व क्षति पहुंचाने वाले गिरोह का सदस्य विमान नगर पुणे क्षेत्र में मौजूद है। प्राप्त सूचना पर संदिग्ध को चिन्हित करते हुये थाना कार्यालय विमान तल विमान नगर पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी विस्तृत पूछताछ से ज्ञात हुआ कि रईस, केशवानी अब्बास हुसैन रमजान अली व मुन्तजिर द्वारा पुणे महाराष्ट्र व भावनगर गुजरात में एकाउण्टेसी सम्बन्धी कार्यो को किया जाता है। केशवानी अब्बास हुसैन रमजान अली द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बोगस फर्में बनाना, बिना किसी परचेज के बोगस सेल्स इनवाईस काटना, बोगस ई–वे बिल तैयार कर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना एवं फर्जी जी0एस0टी0 रिटर्न फाईल करने सम्बन्धी कार्य किया जाता है। उक्त कार्य रईस, केशवानी अब्बास हुसैन रमजान अली व मुन्तजिर विभिन्न वास्तविक फर्मो को लाभ पहॅुचाने हेतु किया जाता है। वास्तविक फर्म धारक अपना जी0एस0टी0 नम्बर, माल/सेवा की किस्म, मात्रा, कीमत का विवरण रईस एवं केशवानी अब्बास हुसैन रमजान अली को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाता था, जिस पर उनके द्वारा पूर्व में बनायी गयी बोगस फर्मों के सेल्स इनवाईस, ई–वे बिल आदि विवरण जी0एस0टी0 पोर्टल पर अपलोड कराकर उक्त विवरण सम्बन्धित वास्तविक फर्म धारको को उपलब्ध करा दिया जाता था। इन बोगस इनवाईसेज में अंकित माल/सेवा की फर्जी परचेज को वास्तविक रूप देने के लिए सम्बन्धित फर्मों द्वारा बैंक खातों के माध्यम से सेल्स इनवाइस में अंकित रकम बोगस फर्म के खाते में ट्रांसफर दिखाई जाती है।

उक्त लेन–देन से सम्बन्धित धनराशि की पूर्ति बोगस फर्मों से कैश के माध्यम अथवा अन्य बोगस फर्मों से सकुर्लर ट्रेडिंग दिखाकर कर वास्तविक फर्म धारक कर लेता है। उक्त बैंक ट्रान्जेक्शन हेतु विभिन्न फर्मो के लागिन आई0डी0, पासवर्ड की एक्सेज अभियुक्तों के पास रहती है जिससे वह सम्बन्धित फर्मों से ओ0टी0पी0 प्राप्त कर सुविधाजनक ढंग से लेन–देन करता रहता है। अभियुक्तों द्वारा भारत के गुजरात, मध्य प्रदेष, महाराष्ट्र, बैंगलोर, दिल्ली व उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में कई बोगस फर्में पंजीकृत करायी गयी थी जिनके माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग करते हुए वास्तविक फर्मो को लाभ पहॅुचाते हुए करोड़ो रूपये की जीएसटी चोरी कर राजस्व क्षति की गयी है।

अभियुक्तों द्वारा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बैंगलोर, दिल्ली व उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों के विभिन्न जनपदों के पते पर कई बोगस फर्में पंजीकृत कराकर उनके माध्यम से जीएसटी चोरी कर राजस्व को क्षति पहुंचाया जा रहा था। अभियुक्त के मोबाइल फोन में 15 से अधिक ई–मेल आई0डी0 लागिन थी जिनके माध्यम से बोगस फर्मो का पंजीकरण, फर्जी इनवाईस एवं ई–वे बिल काटने, जी0एस0टी0 रिटर्न फाइलिंग एवं बैंक ट्रांजेक्शन सम्बन्धी ओ0टी0पी0 प्राप्त किया जाता था। रईस के द्वारा अराध्या इण्टरप्राइजेज जनपद लखनऊ में इन्दिरा नगर के पते पर पंजीकृत करायी गयी थी। यह फर्म उसके द्वारा जाली प्रपत्रों का इस्तेमाल कर पंजीकृत की गयी थी। रईस के द्वारा अराध्या इण्टरप्राइजेज के अतिरिक्त SM TRADERS GST NO-09BKLPV3199P1ZU, RATHOD ENTERPRISES GST NO-09DFXPR8068J1Z5, GAUD TRADING GST NO-09EFFPG7332F1ZH बोगस फर्में जाली प्रपत्रों का इस्तेमाल कर लखनऊ के पते पर पंजीकृत करायी गयी है। इन लोगों द्वारा अपनी इन फर्मों एवं अन्य राज्यों में पंजीकृत बोगस फर्मों के माध्यम से प्रथम दृष्टया लगभग 100 करोड़ से अधिक धनराशि की जीएसटी चोरी कर राजस्व क्षति की गयी है।

पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0–190/25 धारा–318(4), 338, 336(2), 340(2), 61(2) बी0एन0एस0 थाना इंदिरा नगर के विवेचक द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त का नियमानुसार ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने के उपरांत सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया जायेगा। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही विवेचक द्वारा की जायेगी है।

जनपद सीतापुर/थाना तम्बौर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **15 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 लाख 57 हजार 500 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 22.03.2026 को थाना तम्बौर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दलपतपुर से आगे पकरिया पुरवा जाने वाले तिराहा के पास से 15 अभियुक्तों 1–जालिम 2–शिकारी 3–लोटन 4–शिवकपूर 5–सितकुमार 6–नसीब 7–महक 8–शालू 9–दानवीर 10–दनीराजा एवं पाँच अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 लाख 57 हजार 500 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना तम्बौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बनध में थाना तम्बौर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना तम्बौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जालिम निवासी जनकपुर थाना दिनारा जनपद शिवपुरी म0प्र0।

2–शिकारी निवासी प्रकाश नगर थाना देहात (सिविल लाइन) जनपद दतिया म0प्र0।

3–लोटन निवासी प्रकाशनगर थाना देहात (सिविल लाइन) जनपद दतिया म0प्र0।

4–शिवकपूर निवासी प्रकाश नगर थाना देहात (सिविल लाइन) जनपद दतिया म0प्र0।

5–सितकुमार निवासी प्रकाशनगर थाना देहात (सिविल लाइन) जनपद दतिया म0प्र0।

6–नसीब निवासी प्रकाशनगर थाना देहात (सिविल लाइन) जनपद दतिया म0प्र0।

7–महक निवासी प्रकाशनगर थाना देहात (सिविल लाइन) जनपद दतिया म0प्र0।

8–शालू निवासी प्रकाशनगर थाना देहात (सिविल लाइन) जनपद दतिया म0प्र0।

9–दानवीर निवासी इजारपुर थाना मायापुर जनपद शिवपुरी म0प्र0।

10–दनीराजा निवासी इजारपुर थाना मायापुर जनपद शिवपुरी म0प्र0।

11–पाँच अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के 06 लाख 57 हजार 500 रूपये नगद।

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.03.2026 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त अक्षय को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली पडरौना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पडरौना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अक्षय निवासी जंगल अमवा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 02 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल।

जनपद अलीगढ़/थाना इगलास

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल एवं अन्य 05 मोटर साइकिल के पार्ट्स**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 22.03.2026 को थाना इगलास पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना इगलास क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1–अनीश 2–मोहन 3–रंजीत 4–मनीष 5–गोपाल 6–रीकेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल एवं अन्य 05 मोटर साइकिल के पार्ट्स, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अनीश, मोहन, रंजीत के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08–08 अभियोग, अभियुक्त मनीष के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त गोपाल व राकेश के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07–07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इगलास पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनीश निवासी नगला फतैला थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

2–मोहन निवासी सासनी रोड राधिका विहार कॉलोनी कस्बा व थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

3–रंजीत निवासी बलरामपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

4–मनीष निवासी बलरामपुर थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

5–गोपाल निवासी रतन विहार कॉलोनी कस्बा व थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

6–रीकेश निवासी रतन विहार कॉलोनी कस्बा व थाना इगलास जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल एवं अन्य 05 मोटर साइकिल के पार्ट्स।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 55 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 15 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 पिकअप वाहन बरामद**

दिनांक 22.03.2026 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम हिनौता स्थित सुरभी शोध संस्था के पास से अभियुक्त विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया एवं एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 55 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 15 किलोग्राम अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 पिकअप वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनोद कुमार निवासी विमौर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–लगभग 55 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 15 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 पिकअप वाहन।

प्रेस नोट–165/2026
दिनांक 22.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा जनपद मीरजापुर में जोन स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक की गयी।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा जनपद मीरजापुर में जोन स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक की गई। बैठक में एडीजी जोन वाराणसी, विंध्याचल एवं वाराणसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक सहित दोनों रेंज के पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक के दौरान गौतस्करी, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही, मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित कार्यक्रमों की प्रगति, अपराध नियंत्रण में यक्ष ऐप (Yaksh App) का प्रयोग, साइबर अपराधों की रोकथाम एवं जन–जागरूकता, ई–साक्ष्य के प्रभावी उपयोग तथा जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की गहन समीक्षा की गई।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अपराधियों के विरुद्ध **जीरो टॉलरेंस** नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आमजन के साथ संवेदनशील एवं मर्यादित व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

पुलिस महानिदेशक
PIYUSH MORDIA